



2026:AHC:166881

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 21643/2026

श्रीमती श्यामकांति एवं एक अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : आज़ाद खान, मोहम्मद इमरान खान, सुनील वर्मा

प्रत्युत्तरदाता(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से याचीगण एक परमादेश रिट जारी करने की माँग कर रहे हैं, जिसमें प्रतिवादीगण को याचीगण के पति एवं पत्नी के रूप में शान्तिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश दिया जाए तथा संबंधित प्राधिकरण को यह निर्देश देने की माँग की गयी है कि वे याचीगण को सुरक्षा प्रदान करें।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि याचीगण वयस्क हैं एवं यह प्रदर्शित करने के लिए कि याचीगण वयस्क हैं, उन्होंने अपने आधार कार्ड की प्रतिलिपियाँ प्रस्तुत की हैं। उन्होंने अपनी स्वतंत्र इच्छा एवं सहमति से बिना किसी दबाव के विवाह संपन्न किया है एवं दोनों पति-पत्नी के रूप में विवाहित दंपति की तरह एक साथ रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि निजी प्रतिवादी एवं परिवार के अन्य सदस्य इस विवाह से अप्रसन्न हो गए हैं एवं उन्हें धमकी दी जा रही है तथा परेशान किया जा रहा है, जिसके कारण उनके जीवन को गंभीर खतरा है। यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्तागण अपने विवाह का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे। याचिका में दिए गए कथन याचीगण के संयुक्त शपथपत्रों द्वारा समर्थित हैं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी

कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. याचीगण ने रिट याचिका में यह कहा है कि वे पत्नी एवं पति के रूप में रह रहे हैं। यह कहा गया है कि उन्हें आशंका है कि निजी प्रतिवादी अपने परिवार के सम्मान के लिए उन्हें खत्म कर सकते हैं। यदि यह न्यायालय उन्हें सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, तो उनका जीवन खतरे में पड़ सकता है।

5. यद्यपि निजी विपक्षी को नोटिस जारी किए जा चुके हैं एवं साथ ही इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा अंतरिम सुरक्षा भी प्रदान की जा चुकी है, परंतु जिस प्रकार का आदेश पारित किया जाना प्रस्तावित है, उसके दृष्टिगत निजी विपक्षी को केवल सुनने के लिए इस याचिका को लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

6. तदनुसार, पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं की सहमति से, इस रिट याचिका को न्यायालय के नियमों के अनुसार इस स्तर पर अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा रहा है।

7. उच्चतम न्यायालय ने निर्णयों की एक लंबी श्रृंखला में यह विधि स्थापित तय किया है कि जहाँ एक बालक एवं बालिका वयस्क हैं एवं वे अपनी स्वतंत्र इच्छा से रह रहे हैं, तो उनके माता-पिता सहित किसी को भी उनके एक साथ रहने में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। इस संबंध में उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान देवी बनाम सुप्रिटेण्डेंट, नारी निकेतन, दिल्ली एवं अन्य, (1976) 3 एससीसी 234; लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य, (2006) 5 एससीसी 475; एवं भगवान दास बनाम राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली), (2011) 6 एससीसी 396 के प्रकरणों में दिए गए निर्णयों का संदर्भ लिया जा सकता है, जिनका उच्चतम न्यायालय एवं इस न्यायालय द्वारा निरंतर अनुपालन किया गया है, एवं साथ ही इस न्यायालय द्वारा दीपिका एवं एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, 2013 (9) एडीजे 534 के प्रकरण में भी अनुपालन किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान देवी (उपरोक्त) के प्रकरण में निम्नलिखित व्यवस्था दी है:-

"7. ... याची की जन्मतिथि चाहे जो भी हो, वास्तविकता यही है कि वह वर्तमान में 18 वर्ष से अधिक आयु की है। चूँकि याची वयस्क है, इसलिए वह जिस व्यक्ति के साथ रहना चाहती है, उसके चयन पर कोई बंधन नहीं लगाया जा सकता है, एवं न ही उसके रहने के स्थान के संबंध

में कोई प्रतिबंध आरोपित किया जा सकता है। न्यायालय या याची के संबंधी भी ऐसे प्रकरण में अपने विचार या प्राथमिकता को याची के विचार के स्थान पर प्रतिस्थापित नहीं कर सकते हैं।"

8. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, मेरा यह मत है कि याचीगण एक साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह करने में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शान्तिपूर्ण जीवन निर्वाह में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, तो याचीगण संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अर्थात् प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 से इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संपर्क करेंगे, जो याचीगण को तत्काल सुरक्षा प्रदान करेंगे।

9. निजी प्रत्युत्तरदाता को यह स्वतंत्रता प्रदान की जाती है कि यदि अभिलेख पर लाए गए दस्तावेज मनगढ़न्त या जाली हैं, तो वे इस आदेश को वापस लेने के लिए रिकॉल आवेदन योजित करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

10. चूंकि (2006) 2 एससीसी 578 एवं (2008) 1 एससीसी 180 में प्रकाशित सीमा (श्रीमती) बनाम अश्वनी कुमार के प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार विवाह का पंजीकरण अनिवार्य है, इसलिए याचीगण दो माह की अवधि के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण कराने का वचन देते हैं, एवं यदि याचीगण यहाँ निर्धारित की गई समय-सीमा के भीतर अपने विवाह का पंजीकरण नहीं करा पाते हैं, तो इस आदेश के तहत दी गयी सुरक्षा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण के कथित विवाह पर कोई निर्णय नहीं दिया है एवं यह आदेश किसी भी तरह से याचीगण के विवाह की वैधता के बारे में कोई विचार नहीं व्यक्त करता है।

12. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका तदनुसार निस्तारित की जाती है। लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

10 अगस्त, 2026

एस० अली